



क्रमांक: एफ.1(1)(124) निमअ/स्था/2017/पार्ट-III/

जयपुर, दिनांक :

### आदेश

विभागीय नियुक्ति आदेश क्रमांक 4003 दिनांक 31.01.2022 एवं पदस्थापन आदेश क्रमांक 4049 दिनांक 31.01.2022 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता परीक्षा-2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित अभ्यर्थियों में से निम्न अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति तिथि में कार्यग्रहण करने की अवधि के अभिवृद्धि हेतु निवेदित की गयी समय सीमा तक अवधि के विस्तार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक कार्यग्रहण करने की अवधि में अभिवृद्धि की जाती है:-

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के लिए अवधि की अभिवृद्धि
1	खुशबू शर्मा	श्री विजय कुमार बांटोलिया	लाडनूं, नागौर	3 माह के लिए
2	पूजा पारीक	श्री ताराचन्द पारीक	मंडावा, झुंझुनूं	3 माह के लिए
3	गीता	श्री तगाराम चौधरी	धावा, जोधपुर	1 माह के लिए

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.10.1997 के अनुसार सीधी भर्ती से चयनित उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवधि विस्तार उक्तानुसार किया जाता है।

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ.1(1)(124) निमअ/स्था/2017/पार्ट-III/ 5942-51 जयपुर, दिनांक : 14.2.22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता.....
5. प्रोग्रामार महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अभ्यर्थी श्रीमती/सुश्री.....
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.